



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

लीना गांगुली बनाम जालोक गांगुली वगैरह

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....21...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी तमाड..... के अप्राथमिकी सं०-09/18 दिनांक-25/02/18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>स्वाम न० 857 के प्लॉट प्ल० 189 रकबा 1 एकड़ जमीन संबंध में विवाद का तैका समय पत्र के तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उभय पक्ष/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>23-03-18</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
8	<p>पीठाधीन पदाधिकारी नगा प्रेसाउत बुण्डू कर्म के द्वारा दिनांक 09-04-18 से रखे।</p>	

क्र. सं० एवं

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं दिवसीय तारीख सहित

05-03-19

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी दिनांक पत्र क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अनुपस्थित । उभय पत्र जवाब दायित्व की दिनांक 05-04-19 को रहे ।


25/03/19

05-04-19

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी दिनांक पत्र क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अनुपस्थित । उभय पत्र जवाब दायित्व की दिनांक 29-04-19 को रहे ।


05/04/19

29-04-19

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी दिनांक पत्र क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अनुपस्थित । उक्त वाद के 6(दः) भाग की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है ।

अतः वाद के अभिलेख की कालबाधिता बन्द की जाती है ।


29/04/19